न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 334/2016

पंजीयन दिनांक 08.09.2016

राधेश्याम पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट

बनाम

(1). समस्त ओसवाल समाज बूढ़ के स्थायी प्रतिनिधियान के वर्तमान वारिसान-

(1). शंकरलाल पिता भंवरलाल जाति रांका निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(2). चांदमल पिता भंवरलाल जाति रांका निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(3). श्रवणलाल पिता भंवरलाल जाति रांका निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(4). रतनकुमारी पिता भंवरलाल जाति रांका निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(2). हरकलाल जाति रांका मृतक के बजाय-

(1). शिवलाल पिता हरकलाल जाति महाजन निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(2). गेहरीलाल पिता हरकलाल जाति महाजन निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(3). कंचनबाई पत्नी हरकलाल जाति महाजन निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(4). कमला बाई पिता हरकलाल जाति महाजन निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(5). केसर पिता हरकलाल जाति महाजन निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(3). ऊंकार पिता भूरा जाति ब्राहम्ण निवासी बूढ़ तहसील गंगरार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला चित्तौडगढ़।

(4). बंशीलाल उर्फ हेमा पिता भूरा जाति ब्राहम्ण निवासी बूढ़ तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

(5). सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(6) सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 52/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). दिनेशचन्द्र दायमा-अधिवक्ता अपीलांट
(2). दिनेश शर्मा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 व 1/4
(3). रेस्पोडेन्टगण संख्या 1/1,1/3,2/1 से 2/5, 3 व 4
-बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5 व 6

निर्णय **दिनांक 27.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि मौजा बूढ़ तहसील गंगरार की साबिक बंदोबस्ती आराजी संख्या 209, 211 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा जमाबंदी मे पंच ओसवाल साकिन बूढ़ जरिये मुखिया जोधराज, हरकलाल दर्ज रेकॉर्ड थी। वादी अपीलांट के पिता भैरूलाल व उसका भाई संयुक्त रूप से बिल एवज 150 रूपये मे सम्वत 2005 मिति जेठ सुदी 12 दिनांक 19.06.1948 को क्रय की तथा कृषि आराजीयात का कब्जा सुपुर्द कर दिया। व्रिकय पत्र रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के दादा जोधराज, हरकलाल ने स्टाम्प नम्बर 954 व 956 तत्कालीन मेवाड़ स्टेट उदयपुर के 1 रूपये के स्टाम्प पर विक्रय पत्र तकमील किया। साबिक आराजी संख्या 209 व 211 के नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी संख्या 233 रकबा 0.20 हैक्टेयर , आराजी सख्या 235 रकबा 0.47

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ट्यर कुलिया 0.67 हैक्टेयर भूमि अंकित की। अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विक्रय-पत्र दिनांक 19.06.1948 के आधार पर खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत कर घोषणा के अनुरूप इन्द्राज दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए पत्रावली को बिना सूचना दिए लोक अदालत मे नियत की जाकर वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर मय प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 के साथ प्रस्तुत की।

अपीलांट वादी की ओर से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1/2, 1/4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामे के व बिना किसी प्रार्थना पत्र के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र को क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए निरस्त किया है। पत्रावली प्रतिवादी संख्या 8 की तामील हेतु विचाराधीन थी। बिना तामील कराये बिना किसी लिखित राजीनामे के वादपत्र को क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए निरस्त किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को साक्ष्य लेकर दस्तावेज की वैधता या अवैधता तय किया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर वादपत्र क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1996 एस.सी. पेज 1253 ,

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आई.आर. 2002 एन.ओ.सी. 16, ए.आई.आर. 1994 पेज 144, डी.एन.जे. 2017 पार्ट-2 पेज 733 , आर.आर.टी. 2014 पार्ट 1 पेज 314 का अवलोकन करा प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अपंजीकृत व अनस्टॉम्प दस्तावेज के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 लागू नहीं होती है। सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के तहत प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र की श्रेणी मे नहीं आता है, जिससे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के वक्त उपस्थित रहा है जिसके आदेशिका पर उपस्थिति के रूप मे हस्ताक्षर है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट वादी को निर्णय दिनांक से ही है। फिर भी अपीलांट वादी ने न्यायालय हाजा मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। न्यायालय आप मे प्रस्तुत अपील म्याद के बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है। अन्त मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र को क्षेत्राधिकार का नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 को विधि सम्मत होना मानते हुए अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांट वादी की ओर से रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया व साबिक आराजी नम्बर 209, 211 जिसके नवीन आराजी नम्बर 233 व 235 की खरीद के आधार पर विचारण न्यायालय से घोषणा चाही गयी उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 8 रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की तामील व अन्य प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जवाब दावे हेतु नियत थी व अपरिपक्व पत्रावली को लोक अदालत में नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामें के व बिना रेस्पोडेनट्गण की आपत्ति के यह मानते हुये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायलय में अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं है के आधार पर निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 विधिसंमत नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 20/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आदेश 20 नियम 5 जा.दी. की पालना करते हुये अजसरे नवनिर्णय पारित करे । उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 02.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)